भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1955
11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

संपूर्ण एमपीलैड्स निधि का आवंटन

1955. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या क्षेत्र के विकास के लिए पाँच करोड़ रुपये की वार्षिक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) निधि में से, एक सांसद द्वारा प्रति वर्ष केवल 4 करोड़ 90 लाख रुपये ही स्वीकृत किए जा सकते हैं और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित पाँच करोड़ के वार्षिक आवंटन में से विभिन्न प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए दस लाख रुपये आरक्षित रखने के प्रावधान को हठाकर, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड्स) के माध्यम से संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए पूरे पाँच करोड़ रुपये आवंटित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का संसदीय क्षेत्रों की विशाल भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सांसद निधि (एमपीलैड्स) को पाँच करोड़ से अधिक बढ़ाने का विचार है और यदि हाँ, तो कितनी राशि तक और कब तक और यदि नहीं, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) जी हाँ, । मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सांसद सदस्य मिलने वाले 5.00 करोड़ रुपये के वार्षिक भत्ते में से 10.00 लाख रुपये केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरण, नोडल जिला प्राधिकरण और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित हैं। तदनुसार, विकास कार्यों के लिए प्रति वर्ष 4.90 करोड़ रुपये तक की अनुशंसाएँ की जा सकती हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय नियमित रूप से विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त करता है और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निधि पात्रता में संशोधन के प्रस्तावों सहित सुझावों की जांच करता है। फिलहाल, सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत वार्षिक आवंटन को मौजूदा 5.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की सीमा से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****